प्रेस विज्ञप्ति

16.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संभावित फ्लैट क्रेताओं से धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 13/02/2024 को बिल्डर ललित टेकचंदानी से जुड़े मुंबई और लोनावाला में 03 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप लगभग 13 करोड़ रुपए के शेयर और म्यूचुअल फंड फ्रीज़ कर लिए गए हैं। इससे पहले 07/02/2024 को ईडी ने इस मामले में 22 स्थानों पर तलाशी ली थी, जहां ईडी ने पहले ही 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकदी/एफडी जब्त/फ्रीज़ कर ली थी। इस मामले में अब तक कुल 43 करोड़ रुपए जब्त/फ्रीज़ किए गए हैं।

ईडी ने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत तलोजा पुलिस स्टेशन और चेंबूर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि टेकचंदानी और अन्य लोगों के प्रतिनिधित्व वाली कंपनी मैसर्स सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने नवी मुंबई के तलोजा में एक आवासीय परियोजना में संभावित घर क्रेताओं से भारी धनराशि एकत्र की।

ईडी की जांच से पता चला कि मैसर्स सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने नवी मुंबई के तलोजा में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में 1700 से अधिक घर खरीदारों से 400 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि एकत्र की। ईडी की जांच से पता चला कि मैसर्स सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने नवी मुंबई के तलोजा में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में 1700 से अधिक घर खरीदारों से 400 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि एकत्र की। परियोजना में देरी होने के कारण ये घर क्रेता बिना फ्लैट या रिफंड के अधर में लटक गए। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि बिल्डर ने व्यक्तिगत लाभ और परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न नामों पर संपत्ति बनाने के लिए घर क्रेताओं से प्राप्त धनराशि की हेराफेरी की।

07/02/2024 और 13/02/2024 को ईडी द्वारा की गई तलाशी के दौरान 43 करोड़ रुपए की फ्रीज़ की गई संपत्ति के अलावा, 27.5 लाख रुपए की नकदी और टेकचंदानी के परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न नामों पर बड़ी संख्या में संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज पहले ही बरामद और जब्त किए जा चुके हैं। पूर्व की तलाशी अभियानों के दौरान डिजिटल उपकरण और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है